न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1903–एक/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 27.10.2000 पारित व्दारा – अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर – प्रकरण क्रमांक 404 अ–59/99–2000 अपील

1– छोटेलाल 2– गया प्रसाद
दोनों पुत्रगण दयाली कुम्हार
ग्राम पलोहरा तहसील गाडरवारा
जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

म.प्र.शासन व्दारा कलेक्टर नरसिंहपुर ---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस.पी.धाकड़)
(अनावेदक की ओर से कोई नहीं)

आ दे श

(आज दिनांक 17 –11 –2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 42 अ–59/05–06 अपील में पारित आदेश दिनांक 24–7–2006 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण ने कलेक्टर नरसिंहपुर को आवेदन देकर ग्राम पलोहा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 532 रकबा 5.390 हैक्टर एंव सर्वे क्रमांक 533 रकबा 4.941 हैक्टर शासकीय पानी मद की भूमि में से 1.214 तथा 1.214 हैक्टर भूमि आवंटन की मांग की। कलेक्टर, नरसिंहपुर ने प्रकरण क्रमांक 242 अ–29/96–97 पंजीबद्ध किया तथा जांच उपरांत आदेश दिनांक 30.7.2005 पारित करके आवेदक का आवेदन अमान्य कर

दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष अपील होने पर प्र.क्र. 42 अ-59/ 2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 24.7..2006 से अपील अमान्य की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओ पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि आवेदकगण ने कलेक्टर नरसिंहपुर के अर्थात मूल विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 30.7.2005 के विरूद्ध प्रथम अपील अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई, अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के आदेश दिनांक 24.7.06 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की है, जबकि म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 में मूल न्यायालय के विरूद्ध दो अपील का प्रावधान रखा गया है अर्थात मूल न्यायालय कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील आयुक्त/अपर आयुक्त को, आयुक्त/अपर आयुक्त के प्रथम अपील आदेश के विरूद्ध द्वित्तीय अपील राजस्व मण्डल की की जायेगी। अतएव प्रस्तुत निगरानी अग्राह्य योग्य होने एंव आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा प्रकरण का पेटा पूर्ण होने तक अथवा बहस के समय निगरानी को अपील में बदलकर सुनवाई की प्रार्थना न करने एंव आवेदन प्रस्तुत न करने के कारण यह निगरानी अग्राह्य होने से इसी-स्तर पर अमान्य की जाती है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर